15

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण / ई–मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – ।

परिपत्र संख्याःकल्याण–अंतिम संस्कार निर्देश–2018 दिनांकः अक्टूबर 03 ,2018

सेवा मे,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

विषय :सेवारत् कर्मियों की शासकीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान वीरगति को प्राप्त होने, मृत्यु होने अथवा गम्भीर रूप से बीमार हो जाने पर अपनायी जाने वाली विभागीय प्रकिया।

कर्तव्यपालन के दौरान आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप किसी भी रैंक के अधिकारी / कर्मचारी के वीरगति को प्राप्त होने / शहीद होने पर यह आवश्यक है कि उनके अंतिम संस्कार के समय उचित सम्मान दिया जाय। वीरगति को प्राप्त होने वाले / शहीद होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के अंतिम संस्कार के समय **निम्न प्रकिया** का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

1. जवानों के घायल होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार मदद मरीज के रूप में पुलिस कर्मी लगाये जांय तथा वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उनके परिजनों को तत्काल सूचना दी जाय।

2. अस्पताल में मौत की दशा में मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराकर सम्मानजनक रूप से रखा जाय तथा उसमे आइसपैक लगाकर अथवा आवश्यकता पड़ने पर शव–लेपन (Embalming) कराकर शव को सावधानीपूर्वक ताबूत में सुरक्षित रखा जाय।

3. तात्कालिक कार्यवाही करते हुए मृतक के परिजनों को यथाशीघ्र मौके पर बुलाया जाय।

4. मृतक के जितने व्यक्तिगत सामान, जैसे कपड़े आदि, को एकत्रित कर क्षेत्राधिकारी, लाइन द्वारा अपने कब्जे में रखा जाय तथा मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को ब–रसीद प्रदान किया जाय।

5. शव को एक क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में 1–4 की गार्द के साथ अस्पताल से पुलिस लाइन लाया जाय। पुलिस लाइन में जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक आदि मृतक को निर्धारित विभागीय सम्मान प्रदान करेगें, यथा–अनुरूप 1–2–8 की गार्द सलामी एवं शोक शस्त्र की कार्यवाही करायेगें।

6. जनपद से मृतक के घर शव को पहुॅचाने के लिए 01 क्षेत्राधिकारी 1–4 की गार्द के साथ जायेगें। इस हेतु शव–वाहन में गार्द साथ रहेगी। वाहन को सजाकर शव को ताबूत में रखकर आइसपैक लगाकर एवं आवश्यकता पड़ने पर शव–लेपन (Embalming) कराकर पुलिस लाइन से नियमानुसार नकद रूपये प्रदान कर उसके घर के लिए रवाना करेगें एवं शव के घर पहुॅचने पर परिजनों के अनुसार अंतिम संस्कार कराया जाय।

....2

7. गृह जनपद पहुँचने पर वहाँ के पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पुलिस के ड्रिल मैनुअल के चैप्टर–22 के अनुसार अंतिम संस्कार कराया जाय एवं इसमें जो भी धनराशि व्यय होगी है उसका भुगतान सम्बन्धित बजट से किया जाय। गृह जनपद में अंतिम संस्कार के नोडल अधिकारी जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होगें। जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। शोक में फायरिंग पार्टी गृह जनपद की पुलिस लाइन से आयेगी। एक फायरिंग टोली में 01 वरिष्ठ मुख्य आरक्षी तथा 01 कनिष्ठ मुख्य आरक्षी और 12 आरक्षी होगें।

8. अन्य प्रदेशों में ड्यूटी के दौरान, जैसे पीएसी बाहर ड्यूटी में जाती है, वहाँ मृतक कर्मी के शव का स्थानीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर तथा शव–लेपन (Embalming) कराकर ताबूत में सुरक्षित रखकर अग्रेतर कार्यवाही की जाय। शव को रेल/हवाई मार्ग के माध्यम से भी लाया जा सकता है। इसमें आने वाले समस्त व्यय का भुगतान सम्बन्धित बजट/मद से किया जायेगा।

अंतिम संस्कार का आयोजन :

वाहक टोली–

1. क्षेत्राधिकारी एवं 1–4 की गार्द।
2. वाहक मृतकों का अन्तिम संस्कार उनके धार्मिक रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न करायेंगे तथा शमशान/दफन की जगह तक ताबूत को ले जाने/अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
3. वाहक पार्टी के कमाण्डर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ताबूत/सिर पर रखे ध्वज, सिर की पोशाक, साइड बाहें और पुष्पांजलि उचित ढंग से व्यवस्थित हों और गिरने न पायें।
4. फायरिंग और वाहक पार्टी के लिए ड्रेस कोड माउण्ट मेडल के साथ पूर्णतः औपचारिक होगा।
5. प्रभारी अधिकारी को मृतक के शव के परिवहन के लिए अधिकृत किया जाय।

गम्भीर बीमार/घायल होने की दशा में अस्पताल के लिए दिशा–निर्देश :

सम्बन्धित अस्पताल घायल/बीमार अधिकारी/कर्मचारी के चिकित्सा से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखेगें तथा दैनिक स्तर पर उनके स्वास्थ्य की प्रगति के बारे में मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेगें। निकटतम पुलिस लाइन के चिकित्साधिकारी प्रतिदिन घायल/बीमार अधिकारी/कर्मचारी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए जिम्मेदार होगें एवं उनकी आवश्यकताओं की सूचना अपने प्रभारी को देगें।

1. घायल/बीमार अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यकतानुसार अधिकतम 3 कर्मचारी मदद मरीज के लिए प्रदान किए जा सकते हैं।
2. घायल/बीमार अधिकारी/कर्मचारी के रिश्तेदार और अस्पताल कार्यालय को एक–दूसरे के साथ फोन नंबर और अन्य विवरण का आदान–प्रदान करना चाहिए।

....3

3. घायल/बीमार अधिकारी/कर्मचारी के नजदीकी रिश्तेदार को समय से सूचित किया जाय ताकि वे रोगी के पास उपस्थित हो सकें।

4. घायल/बीमार अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने पर अस्पताल के चिकित्साधिकारी द्वारा शव को सम्मानजनक तरीके से रख–रखाव की व्यवस्था की जाय एवं नजदीकी रिश्तेदारों और जनपद के प्रभारी अधिकारी को तत्काल सूचना दी जाय।

5. बल के कर्मियों की अचानक/अप्राकृतिक मृत्यु के सभी मामलों में, मृत्यु के कारणों की स्पष्ट जानकारी के लिए पोस्टमॉर्टम कराया जाना चाहिए। पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी अवश्य होनी चाहिए।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासकीय कार्यों के निर्वहन के दौरान किसी अधिकारी/कर्मचारी की बीमारी अथवा अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने की दशा मे उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त शव को 1–4 की गार्द के साथ शासकीय वाहन से मृतक के घर एवं अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

10. सम्बन्धित जनपदों के पुलिस अधीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वह परिस्थिति अनुसार उचित सम्मान की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ऐसे पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जिनकी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ या दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों अथवा अन्य मेडिकल कालेजों में मृत्यु हो जाती हैं तो सम्बन्धित जनपद (जहॉ कर्मी कार्यरत् हो) वाहन की समुचित व्यवस्था कराकर शव को मृतक के घर तक अवश्य पहुंचायें तथा नियमानुसार नकद धनराशि भी तत्काल प्रदान कर दी जाये।

3.7.18

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।